राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६७२५/०६

रणजीत चौधरी बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:२१.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री सुनिल जैन,अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज/केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी ने जाहिर किया कि यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरर्थक हो गया है।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रार्थी रणजीत चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरर्थक (Infructuous) हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(**न्या० जितेन्द्र राय गोयल**)